न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 46/2019

बउनवानः—

1. छगन लाल
2. खोम राज पुत्रान रंगलाल जाति माली निवासीगण भटवाडा तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. सरजीवन पुत्र कंवरिया जाति माली निवासी ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

बउनवान मुकदमा सरजीवन बनाम कंवर लाल वगै0

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार गालव

वकील अप्रार्थीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांकः 15.10.2019

निर्णय दिनांक : 19.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भटवाडा तह0 मांगरोल में खसरा नं0 69 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 471 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 476 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 477 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 478 रकबा 0.97 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.06 है0 कुल किता 6 रकबा 4.48 है0 आराजी स्थित है। जिसमें अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने हेतु नालिशी चाही है। जो वर्तमान में जवाब दावा दिनांक 13.05.2019 को नियत है। अप्रार्थी ने दिनांक 21.07.2018 को शुद्धि पत्र संख्या 19 से राजस्व कार्मिको से मिली भगत करके उक्त वर्णित विवादित आराजी का हिस्सा 1/4 का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074— 2077 में अंकित करवा लिया हे जो बिना किसी न्यायालय के आदेश के गैर कानूनी रूप से दर्ज करवा लिया है। न्यायालय श्रीमान के यहा जैरकार उक्त वाद में उसने 1/4 हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसका अभी तक कोई निर्णय नही हुआ है। उक्त गलत अंकन हो जाने से अप्रार्थी उक्त आराजी पर बैंक से कर्ज ले सकता है तथा उसको अन्यत्र रहन भी कर सकता है जिसका भी निर्णय होना शेष है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी खाता संख्या 455 के रेकार्ड की यथा स्थिति बाबत आदेश प्रदान करें। एवं मौके पर कब्जे की स्थिति भी यथावत बनाये रखने का आदेश प्रदान करके विवादित आराजी अपने हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रेकार्ड में दिनांक 31.07.2018 को नामा0 नं0 19 से जो शुद्धिपत्र से हिस्सा 1/4 सरजीवन पुत्र कंवरलाल दर्ज किया गया है। उसे विवादित करार दिया जाये कि तथा अप्रार्थी को

अस्थाई निषेधाज्ञा से से पाबंद किया जावें कि वह मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे साथ किसी तरह से छेडछाड ना करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर अप्रार्थी कम 1 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तलब होने के पश्चात अप्रार्थी ने जर्ये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र व राजस्व रेकार्ड पेश किये जो शामिल मिशल है। जवाब प्रार्थना पत्र के कथनानुसार विवादित आराजी में वादी ने अपने आपको 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित की जाने की प्रार्थना नही की है बल्कि बंटवार किये जाने की डिक्री की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 मन घडन्त जाहिर की है। वादी अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा इं0 नं0 652 दिनांक 18.09.2006 से ही राजस्व रेकार्ड में छोटूलाल के हिस्से पर दर्ज हो गया था। वादी का नाम 1/4 हिस्सा पर सन 2006 से ही दर्ज है प्रार्थीगण का यह कहना कि सं0 2074–2077 में अप्रार्थी कम 01 ने राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में 1/4 हिस्सा अंकन करवालिया है गलत है क्योकि सं0 2074–2077 की जमाबंदी तैयार करते समय राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी सहखातेारान के हिस्से को अलग अलग दर्शाया गया है सम्पूर्ण खाते में मात्र अप्रार्थी कम 1 का ही हिस्सा दर्ज नही हो रहा है अप्रार्थी कम 1 ने 1/4 हिस्से की घोषणा का वाद पेश नही किया हुआ है बल्कि बंटवारा का वाद अप्रार्थी कम 1 ने पेश किया है ओर मूल वाद में भी बंटवारा किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने लिखा है कि अप्रार्थी कम 1 बैंक से ऋण ले सकता है जबकि अप्रार्थी कम 1 ने पहले से ही अपने 1/4 हिस्से पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा मांगरोल से ऋण प्राप्त किया हुआ है इस तरह प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथो से नही आने के कारण प्रार्थना पत्र काबिले रफ्तार नही होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 भी अस्वीकर कर निवेदन किया है कि जमाबंदी 2074–77 में अप्रार्थी कम 01 का जो हिस्से का अंकन हुआ है वो मात्र वादी/अप्रार्थी कम 1 के ही नही हुआ है बल्कि समस्त सहखातेदारान के हिस्सो को जमाबन्दी में दर्शाया गया है एवं काउन्टर क्लेम का जवाब की फोटू प्रति जवाब के साथ अप्रार्थी कम 1 की ओर से पेश की जा रही है जिससे प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छुपाया है उसकी वास्तविकता न्यायालय के समक्ष आ सके और न्यायालय को निर्णय पारित करने में सहयोग हो सकें। तथा निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने से व 1/4 हिस्सा वाली बात भी गलत दर्ज होने से प्रार्थना पत्र की प्रार्थना पूर्णतया अस्वीकार है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 की ओर से राजस्व रेकार्ड पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृटान्त पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उभयपक्ष का भी मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दओ को देखना होता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णनीय क्षति

01. प्रथम दृष्टया मामला:– उभयपक्ष ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो कि उन्होने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में लिखा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में विवादित आराजी का विवरण दिया है। तथा निवेदन किया है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/4 गलत दर्ज है तथा उक्त से संबंधित वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक मूल वाद में निर्णय पारित नही हो जाता है जब तक अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि विवादित आराजी का रहन बैचान नही करें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी जवाब बहस में बताया कि अप्रार्थी कम 1 स्वयं रेकार्डेड खातेदार है। तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में निवेदन किया है कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी कम 1 पारित नही की जाती है तो अप्रार्थी कम 1 उक्त विवादित आराजी पर बैंक से लोन ले लेगा परन्तु अप्रार्थी कम 1 ने जाहिर किया है कि अप्रार्थी कम 1 ने पूर्व में ही उक्त विवादित आराजी पर बैंक से लोन ले रखा है तथा निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन व तथ्य से परे है। अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी में रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है। तथा अप्रार्थी कम 1 का नाम विवादित आराजी से विलोपित किया जावेगा या नही यह मूल वाद में तय किया जावेंगा। न्यायालय धारा 212 आरटीएक्ट की बहस सुन रहा है। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात व राजस्व रेकार्ड देखने के बाद न्यायालय के मद में अप्रार्थी कम 1 रेकार्डेड खातेदार है। स्वतंत्र मालिक व काबिज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन– अप्रार्थी कम 1 स्वतंत्र रेकार्डेड खातेदार है। और गत कुई वर्षो से काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति– प्रार्थीगण जिस राजस्व रेकार्ड के खातेदार है। उस पर काबिज काश्त है। तथा अप्रार्थीगण अपनी–अपनी जमाबंदी के अनुसार काबिज काश्त है। उभयपक्ष अपने–अपने राजस्व रेकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थीगण को ज्यादा क्षति का सामना करना पडेगा विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होती। वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। लिहाजा यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 वास्ते चाहने अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।